न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025 / 302
मुकदमा नम्बर 84 / 2025 दर्ज दिनांक– 02.06.2025

गोरधन पुत्र मांगूराम जाति मेघवंशी निवासी वार्ड नं. 11, गिरधरपुरा शाहपुरा, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री नेमीचन्द डूडी, श्री सज्जन चाहर
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 10.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में भूमि खाता सं. नया 197 पुराना 206 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 100,101,102,103,104,105,1062 / 40, 1066 / 121, 107, 108, 109, 110, 123,99, रकबा क्रमशः 0.07,0.07,0.22,0.44,0.53,0.79,0.05,0.03,0.27,0.02,0.43,1.59,0.09,0.07 कुल किता 14 कुल रकबा 4.67 है0 तथा ग्राम ढेवां की ढाणी पटवार हल्का टोकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 87 पुराना 8360 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 275 रकबा 3.06 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोरू पुत्र मांगू के स्थान पर गोरधन पुत्र मांगूराम दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर एतराज व्यक्त नही किया गया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में भूमि खाता सं. नया 197 पुराना 206 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 100,101,102,103,104,105,1062 / 40,

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

1066/121, 107, 108, 109, 110, 123,99, रकबा कमशः 0.07,0.07,0.22,0.44,0.53,0.79,0.05,0.03,0.27,0.02,0.43,1.59,0.09,0.07 कुल किता 14 कुल रकबा 4.67 है0 तथा ग्राम ढेवां की ढाणी पटवार हल्का टोकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 87 पुराना 8360 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 275 रकबा 3.06 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोरू पुत्र मांगू के स्थान पर गोरधन पुत्र मांगूराम, दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू